प्रश्नोतर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट - "छ:"

[प्रश्न सं. क्र. 4630]

परिशिष्ट (अ)

[28/3/2018]

निवास : राजमहल, अलीपुरा
जिला : छतरपुर (म.प्र.)
दूरभाष : 07685-263225
मोबा.: 09425014475

अ.शा. पत्र क्र. 837/MLA/2017
भोपाल, दिनांक 05/12/2017

8672
07/12/2017

प्रति,

माननीय मुख्य सचिव महोदय,
म.प्र. शासन,
मंत्रालय, भोपाल

ACS, GAD

विषय : जिला छतरपुर के राजपत्रिक अधिकारियों के द्वारा शासकीय आदेशों को ताक में रखकर नियम विरूद्ध आदेश पारित किये जाने के संबंध में।

सदर्भ : विधानसभा सचिवालय की ध्यानाकर्षण सूचना दिनांक 22.11.2017

मान्यवर,

उपरोक्त विषयाकित के संबंध में सादर विनम्र लेख है कि जिला छतरपुर के तहसील छतरपुर में कलेक्टर बंगले के सामने प्र.क्र. 27/अ-20-1/83-84 पारित आदेश दिनांक 12.06.1984 पर निष्पादित कर पट्टा दिनांक 29.03.1985 के तहत मौजा बगौता खसरा क्र. 1688/2 में से 118 X 58 = 6844 वर्गफिट भूमि आवासीय भूमि आवासीय प्रयोजन हेतु प्रीमियम 16084.00 एवं भूभाटक 804120 पर प्रयाग राज अग्रवाल को आवंटित की गयी थी। आवासीय से व्यवसायिक प्रयोजन हेतु प्रकरण क्र./अ-20-1/2001 - 02 दिनांक 21.01.2003 को आदेश दिये गये थे । कुल राशि 29,32,378.00 (उन्तीस लाख बत्तीस हजार तीन सौ अठहत्तर रूपये) एवं 2104113.00 (दो लाख चार हजार एक सौ तेरह रूपये) जमा करने की शर्त पर आदेश दिया गया था जो जमा नहीं किये गये ।

लेकिन जिला प्रशासन द्वारा शासन के निर्देशानुसार नवीनीकरण में जो राशि शासन को देय होती है, उसके बगैरा ही राजस्व अधिकारी ने नवीनीकरण कर दिया । जिले में प्रशासनिक अधिकारियों की ऐसी कार्यशैली है जिस पर आम जनमानस राज्य शासन की प्रशानिक क्षमता पर प्रश्न चिन्ह इंकित करता है।

मैं अनुग्रहित होऊँगा यदि माननीय के द्वारा ध्यानाकर्षण सूचना मे उल्लेखित तथ्यों को दृष्टिगत रखकर शीघ्र कार्यवाही किये जाने हेतु प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन, भोपाल को आदेशित करने की कृपा करना चाहेंगे।

सादर शुभकामनाओं सहित ।

(मानवेन्द्र सिंह)
विधायक

परिशिष्ट (3)

विधायक
(भाजपा.)
क्षेत्र-48 महाराजपुर
जिला छतरपुर (म.प्र.)

निवास : राजमहल, अलीपुरा
जिला : छतरपुर (म.प्र.)
दूरभाष : 07685-263225
मोबा.: 09425014475

अ.शा. पत्र क्र. 1338/M.L.A
भोपाल, दिनांक 05/12/2017

2229/CMS/URD/17
11/12/17

प्रति,

माननीय मुख्यमंत्री महोदय,
म.प्र. शासन,
मंत्रालय, भोपाल

विषय : जिला छतरपुर के राजपत्रिक अधिकारियों के द्वारा शासकीय आदेशों को ताक में रखकर नियम विरूद्ध आदेश पारित किये जाने के संबंध में।

संदर्भ : विधानसभा सचिवालय की ध्यानाकर्षण सूचना दिनांक 22.11.2017

मान्यवर,

उपरोक्त विषयांकित के संबंध मे सादर विनम्र लेख है कि जिला छतरपुर के तहसील छतरपुर में कलेक्टर बंगले के सामने प्र.क्र. 27/अ-20-1/83-84 पारित आदेश दिनांक 12.06.1984 पर निष्पादित कर पट्टा दिनांक 29.03.1985 के तहत मौजा बगौता खसरा क्र. 1688/2 में से 118 X 58 = 6844 वर्गफिट भूमि आवासीय भूमि आवासीय प्रयोजन हेतु प्रीमियम 16084.00 एवं भूभाटक 804120 पर प्रयाग राज अग्रवाल को आवंटित की गयी थी। आवासीय से व्यवसायिक प्रयोजन हेतु प्रकरण क्र./अ-20-1/2001 - 02 दिनांक 21.01.2003 को आदेश दिये गये थे । कुल राशि 29,32,378.00 (उन्तीस लाख बत्तीस हजार तीन सौ अटहत्तर रूपये) एवं 2104113.00 (दो लाख चार हजार एक सौ तेरह रूपये) जमा करने की शर्त पर आदेश दिया गया था जो जमा नहीं किये गये ।

लेकिन जिला प्रशासन द्वारा शासन के निर्देशानुसार नवीनीकरण में जो राशि शासन को देय होती है, उसके बगैरा ही राजस्व अधिकारी ने नवीनीकरण कर दिया । जिले में प्रशासनिक अधिकारियों की ऐसी कार्यशैली है जिस पर आम जनमानस राज्य शासन की प्रशानिक क्षमता पर प्रश्न चिन्ह इंकित करता है।

मैं अनुग्रहित होऊँगा यदि माननीय के द्वारा ध्यानाकर्षण सूचना मे उल्लेखित तथ्यों को दृष्टिगत रखकर शीघ्र कार्यवाही किये जाने हेतु मुख्य सचिव को आदेशित करने की कृपा करना चाहेंगे।

सादर शुभकामनाओं सहित ।

(मानवेन्द्र सिंह)
विधायक

भोपाल निवास - ... -2/31, ... (म.प्र.)
दूरभाष - 0755-2440520

परिशिष्ट (ब)

मानवेन्द्र सिंह
विधायक
(...पा.)
क्षेत्र 48 महाराजपुर
जिला छतरपुर (म.प्र.)

निवास : राजमहल, अलीपुरा
जिला : छतरपुर (म.प्र.)
दूरभाष : 07685-263225
मोबा.: 09425014475

अ.शा. पत्र क्र. 1348/MLA/1
भोपाल, दिनांक 05/12/2017

प्रति,

माननीय मुख्यमंत्री महोदय,
म.प्र. शासन,
मंत्रालय, भोपाल

विषय : जिला छतरपुर के राजपत्रिक अधिकारियों के द्वारा शासकीय आदेशों को ताक में रखकर नियम विरूद्ध आदेश पारित किये जाने के संबंध में।

संदर्भ : विधानसभा सचिवालय की ध्यानाकर्षण सूचना दिनांक 22.11.2017

मान्यवर,

उपरोक्त विषयांकित के संबंध में सादर विनम्र लेख है कि अपर आयुक्त, सागर संभाग ने अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर का प्र.क्र. 02/अ-6/अपील वर्ष 2016-17 में पारित आदेश दिनांक 29.07.2017 के विरूद्ध इस न्यायालय के समक्ष स्थगन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जिस पर अपर आयुक्त सागर ने दिनांक 08.08.2017 को स्थगन आदेश पारित किया ।

लेकिन तहसीलदार छतरपुर द्वारा सक्षम न्यायालय द्वारा दिये गये स्थगन आदेश के बावजूद भी दिनांक 23.09.2017 को वारसाना नामान्तरण स्वीकृत किया । जिले में पदस्थ राजस्व अधिकारी शासन के दिशानिर्देशों की परवाह न कर मनमर्जी तरीके से आदेश पारित किये जाते हैं उदाहरण स्वरूप उल्लेखित प्रकरण माननीय के समक्ष प्रस्तुत है।

मैं अनुग्रहित होऊँगा यदि माननीय के द्वारा ध्यानाकर्षण सूचना में उल्लेखित तथ्यों को दृष्टिगत रखकर शीघ्र कार्यवाही किये जाने हेतु प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन को आदेशित करने की कृपा करना चाहेंगे।

सादर शुभकामनाओं सहित ।

(मानवेन्द्र सिंह)
विधायक

PS (Rev.)